संख्या-298/2024/I/715793/2024/23-11099(099)/16/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 11-08-2024**

विषय:-जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी0एम0मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक चार लेन निर्माण (लम्बाई 14.280 कि0मी0) तथा आई0आई0एम0 लखनऊ से आउटर रिंग रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.400 कि0मी0) का दो लेन चौड़ाई में चाड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-148नि0/131-01नि0/लखनऊ 2023-24, दिनांक 14-06-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आऊटर रिंग रोड तथा टेक्साटाइल पार्क के मध्यम गोमती नदी पर 208.00 मी0 दीर्घ सेतु की लम्बाई 60.00 मी0 से अधिक होने के दृष्टिगत विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य सेतु निगम, लखनऊ को नामित किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी0एम0मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक चार लेन निर्माण (लम्बाई 14.280 कि0मी0) तथा आई0आई0एम0 लखनऊ से आउटर रिंग रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.400 कि0मी0) का दो लेन चौड़ाई में चाड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की शासनादेश संख्या-90/2024/I/518139/2024/23-11099(099)/16/2024, दिनांक 13-03-2024 द्वारा रू0 40939.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें सम्मिलित प्रश्नगत परियोजना के 04 लेन वाले भाग के संरेखण में आ रही गोमती नदी पर 208.00 मी0 लम्बाई के दीर्घ सेतु के निर्माण कार्य हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ होगी।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।

16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।